राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर **बनाम** भोलु राम आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 76 सन् 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/336

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.08.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार राज के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक 1 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 66/66 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति व वादगत रकबा मूलवाद के निर्णय तक रिसीवर किए जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने के आदेश दिए जावे। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5, 2 के द्वारा मूलवाद में काउन्टर क्लेम पेश कर मृतक भोलू राम पुत्र नत्थू राम के नाम दर्ज कृषि भूमि का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है तथा अप्रार्थी संख्या 3/1 ता 3/4, 4 के द्वारा मूलवाद में काउन्टर क्लेम पेश कर पंजीकृत बैयनामा दिनांक 25.06.1965 की रूह से खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। चूकिं प्रार्थी तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में वर्णित किया है कि वादगत भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया है और वर्तमान में वादगत भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का वर्षो से कब्जा काश्त है। अतः इतने वर्षो से कब्जा काश्त में रही भूमि को रिसीवर किया जाना विधिसंगत नहीं है और मूलवाद में ही निर्णीत होना है कि वादगत भूमि का बेचान धारा 42 आरटीए का उल्लघंन है या नहीं। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाए जाते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	